

विचार बिन्दु

मौन वार्तालाप की एक महान कला है। —हैज़लट

बजट सामूहिक उत्तरदायित्व में घोषणाएं व्यक्तिगत नहीं होती!

राजस्थान विधान सभा में पिछले हफ्ते राज्य का वर्ष 20२६–२७ का बजट प्रस्तुत किया गया। उसके प्रावधानों तथा उसमें किए गये प्रस्तावों व घोषणाओं पर राजनीतिक और मीडिया के अलावा कारोबारी जगत की फ़ौरी टिप्पणियां आ चुकी हैं। विपक्ष के लिए वह किसी काम का नहीं है,और सत्तारूढ़ दल के लिए वह सर्वश्रेष्ठ है। मगर इस बजट भाषण में वित्तीय आंकड़ों और प्रस्तावों से कुछ इतर भी झलकता है। पिछले कुछ समय से एक नई प्रवृति देखने को मिल रही है जिसमें बजट भाषण सामूहिक दायित्व की जगह व्यक्तिगत होता जा रहा है। यह प्रवृति इस बार सिर चढ़ कर बोलती नजर आई, जिसमें सामूहिक निर्णय को व्यक्तिगत नेतृत्व के प्रचार में बदले जाने की कवायद भी थी। बजट को अब पाटी की नहीं,व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। राजस्थान की वित्त मंत्री जब अपने बजट भाषण में बार–बार मुख्यमंत्री का गुणगान करती है और सदन में चारों ओर नजर घुमा कर कहती है कि मैं घोषणा करती हूं, तब प्रश्न विधिक नहीं, राजनीतिक शिष्टाचार और संवैधानिक संस्कृति का बन जाता है। बजट व्यक्ति का नहीं, सरकार का दस्तावेज होता है जिसे विभागीय स्तर पर तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और अंततः सदन द्वारा पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में 'मैं घोषणा करती हूं' का प्रयोग एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वामित्व का संकेत देता हुआ प्रतीत होता है, भले ही विधिक रूप से ऐसा न हो। बहुतेरे यह भाषा संसदीय गरिमा और लोकतांत्रिक नैतिकता के विरुद्ध लग सकती है। मैं के का यह चलन महलों से आने वाली वसुंधरा राजे तथा कांग्रेस के अशोक गहलोत ने शुरू किया था। विधान सभा में बजट भाषण केवल आय–व्यय का विवरण नहीं होता; वह सरकार की नीतिगत दिशा, प्राथमिकताओं और वैचारिक प्रतिबद्धताओं का औपचारिक वक्तव्य होता है। ऐसे में जब वित्त मंत्री बार–बार यह कहे 'मैं घोषणा करती हूं' तो यह प्रश्न स्वाभाविक ही पूजा जा सकता है कि क्या यह भाषा संसदीय परंपरा और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के अनुरूप है? यह भाषा की समस्या नहीं है। समस्या भाव में है। यदि बजट भाषण में बार–बार मैं की प्रधानता हो और सरकार या मंत्रिपरिषद् की सामूहिकता गौण हो जाए, तो यह लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में नीतियां व्यक्तिगत की नहीं, संस्थाओं की होती हैं। उत्तरदायित्व साझा होता है, उपलब्धि भी साझा होनी चाहिए। इसलिए सिद्धांततः यह कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है कि – सरकार यह घोषणा करती है या राज्य सरकार प्रस्ताव करती है। माना जाता है कि बजट भाषण वित्तीय आंकड़ों के साथ राज्य के आर्थिक हालात को सदन में सामने रखता है और सरकार की लोक कल्याण की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी देता है। वह राजकोष में आने व उससे खर्च होने वाले पैसों का हिसाब–किताब प्रस्तुत करता है तथा एक–एक पाई खर्च करने की सदन से अनुमति लेता है। भले ही बजट बहुमत के बल से पास होता है, फिर भी यह संवैधानिक व्यवस्था राज्य और प्रशासन को एक मर्यादा में बांधे रखती है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की मूल आत्मा सामूहिक मंत्रिपरिषद् उत्तरदायित्व की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद १६४ के अनुसार मंत्रीपरिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि कोई भी नीति, योजना या वित्तीय प्रस्ताव किसी एक मंत्री की व्यक्तिगत सोच नहीं, बल्कि पूरी सरकार के विचार–विशेष और स्वीकृति का परिणाम होता है। वह पूरी मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत दस्तावेज होता है, जो अंततः सदन द्वारा पारित होकर ही प्रभावी बनता है।

ब्रिटन की संसद में चांसलर ऑफ़ द एक्स्पेचेकर आई प्रपोज या आई अनाउन्स जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहां अब भी राज्य सत्ता राजा या रानी में निहित है भले ही वह अलंकारिक हो। मगर भारत का संविधान यहां की सत्ता नागरिकों के हाथ में देता है। इसीलिए व्यक्तिगत नेतृत्व की छवि गढ़ने के लिए संसदीय मंच का प्रयोग मर्यादित होना चाहिए। लोकतंत्र में संस्थाओं की प्रतिष्ठा व्यक्ति से ऊपर मानी जाती है। यदि बजट को व्यक्तिगत घोषणा–पत्र की तरह प्रस्तुत किया जाने लगे, तो इससे संस्थागत संतुलन कमजोर पड़ सकता है। वित्त मंत्री सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बोलते हैं। किन्तु लोकतांत्रिक परिपक्वता की कसौटी केवल वैधानिकता नहीं, बल्कि संवैधानिक शिष्टाचार और राजनीतिक संस्कृति भी होते हैं। यदि भाषा में सामूहिकता का बोध झलके, तो वह संसदीय गरिमा के अधिक अनुकूल होता है। प्रश्न यह नहीं है कि मैं कहना अपराध है या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या हम लोकतंत्र को व्यक्तियों के इर्द–गिर्द देखना चाहते हैं या संस्थाओं के माध्यम से? बजट भाषण की भाषा इसी व्यापक विमर्श का संकेतक बन जाती है। क्या यह अन्यायशाय है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के में अपने मैं के साथ इस पुरानी सूक्ति को उद्धृत किया: राजा प्रजा सुखे सुखम्, प्रजानाम् च हितं हितम् और कहा शासक का सुख प्रजा के सुख में है तथा हित भी प्रजा के हित में निहित है। प्रजा और नागरिक दोनों शब्द राज्य और व्यक्ति के संबंध को व्यक्त करते हैं, लेकिन इनके अर्थ, संदर्भ और भाव अलग–अलग हैं, जो शासन–व्यवस्था का अंतर दर्शाते हैं। प्रजा शब्द मुख्यतः राजशाही तंत्र से जुड़ा है। इसमें राजा सर्वोच्च होता है और व्यक्ति को उसके अधीन रहने वाले लोग प्रजा कहलाते हैं। नागरिक शब्द लोकतंत्र से संबंधित है। इसमें जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है और उसके सदस्य नागरिक कहलाते हैं। अधिकारों की दृष्टि सेप्रजा के अधिकार सीमित होते थे। राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। कर्तव्यों की दृष्टि से प्रजा का मुख्य कर्तव्य राजा के आदेशों की पालना करना होता है। बजट भाषण में जिस उक्ति का उपयोग किया गया वह तब की है जब प्रजा और शासक का संबंध अधीनता का था। गणतांत्रिक भारत में नागरिक और राज्य का संबंध सहभागिता और समानता का है। नागरिक शासन–निर्माण में भाग लेता है और अपने भाग्य का खुद निवर्तता होता है। दोनों में भावनात्मक और वैचारिक अंतर है। प्रजा शब्द में दासता या अधीनता का भाव निहित रहता है जबकि नागरिक शब्द में गरिमा, अधिकार और जिम्मेदारी का भाव समाहित होता है। इसलिए प्रजा वह है जो राजा के अधीन रहती है, जबकि नागरिक वह है जो लोकतांत्रिक राज्य का समान अधिकारों वाला सदस्य होता है। आधुनिक भारत में हम प्रजा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों से युक्त नागरिक हैं। हम भारत के लोगों ने संविधान के माध्यम से स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान ने व्यक्ति की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को राष्ट्र–जीवन की आधारशिला बनाया। परंतु संविधान की औपचारिक स्थापना और उसके मूल्यों का सामाजिक अल्पसंख्य–दो अलग प्रक्रियाएं हैं। यही वह अंतराल है जहां सामंती मानसिकता बार–बार सिर उठाती दिखाई देती है। समाज में उभरती अहंकारी सामंती प्रवृत्तियां अक्सर सहाे पर मामूली सांस्कृतिक या व्यवहारगत विचलन के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे भाषा में दंभ, पद और वंश का अनावश्यक प्रदर्शन, सत्ता के प्रति अंध–निष्ठा, या सामाजिक श्रेणियों के आधार पर श्रेष्ठता–बोधा किंतु इतिहास साक्षी है कि ऐसी प्रवृत्तियां धीरे–धीरे सामूहिक मानस में गहराई तक पैठ जाती हैं और अंततः लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बन जाती हैं। सामंतवाद केवल आर्थिक या राजनीतिक संरचना नहीं, बल्कि एक मानसिक संरचना भी होती है। इसमें व्यक्ति अपनी पहचान को जन्म, वंश, पद या शक्ति से जोड़कर देखता है। आधुनिक लोकतंत्र इसके विपरीत नागरिकता–आधारित समानता पर टिका होता है। अहंकारी सामंती प्रवृत्तियां अक्सर प्रतीकों के माध्यम से पुनर्जीवित होती हैं जैसे उपाधियों का प्रदर्शन, शक्ति का सर्वजनिक प्रदर्शन, सामाजिक दूरियां या यह विश्वास कि कुछ लोग स्वभावतः शासक और अन्य स्वभावतः शासित हैं। ये प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक संवाद की जगह अनुशासन और अधीनता को महत्व देती हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, परंतु लोकतांत्रिक संस्कार अभी भी समाज के हर स्तर तक समान रूप से नहीं पहुंचे हैं। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है, पर लोकतांत्रिक चेतना–अर्थात असहमति को स्वीकार करना, आलोचना को स्थान देना, और संस्थाओं का सम्मान करना–अब भी संभट में है।जब व्यक्ति लोकतंत्र को केवल मतदान तक सीमित समझता है और रोज़मर्रा के व्यवहार में समानता व संवेदनशीलता को नहीं अपनाता, तब सामंती सोच पुनः सक्रिय हो जाती है। सर्वजनिक जीवन में आलोचना को व्यक्तिगत अपमान मान लेना या सत्ता–सम्पन्न व्यक्ति के प्रति प्रश्न उठाने को 'अवज्ञा' समझना लोकतांत्रिक नहीं, सामंती प्रवृत्तियां हैं। जब लोग व्यक्तिगत करिश्मे को संस्थागत प्रक्रियाओं से ऊपर रखने लगते हैं तब संस्थाओं पर विश्वास होने लगता है। आलोचना का दमन होता है और असहमति को देश–विरोध या सामाजिक विद्रोह करार दिया जाने लगता है और वंश या पद के आधार पर विशेषाधिकार को नैसर्गिक मान लिया जाता है।

सार्वजनिक जीवन में आलोचना को व्यक्तिगत अपमान मान लेना या सत्ता-सम्पन्न व्यक्ति के प्रति प्रश्न उठाने को ‘अवज्ञा’ समझना लोकतांत्रिक नहीं, सामंती प्रवृत्तियां हैं। जब लोग व्यक्तिगत करिश्मे को संस्थागत प्रक्रियाओं से ऊपर रखने लगते हैं तब संस्थाओं पर अविश्वास होने लगता है। आलोचना का दमन होता है और असहमति को देश-विरोध या सामाजिक विद्रोह करार दिया जाने लगता है और वंश या पद के आधार पर विशेषाधिकार को नैसर्गिक मान लिया जाता है।

उसके अधीन रहने वाले लोग प्रजा कहलाते हैं। नागरिक शब्द लोकतंत्र से संबंधित है। इसमें जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है और उसके सदस्य नागरिक कहलाते हैं। अधिकारों की दृष्टि सेप्रजा के अधिकार सीमित होते थे। राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। कर्तव्यों की दृष्टि से प्रजा का मुख्य कर्तव्य राजा के आदेशों की पालना करना होता है। बजट भाषण में जिस उक्ति का उपयोग किया गया वह तब की है जब प्रजा और शासक का संबंध अधीनता का था। गणतांत्रिक भारत में नागरिक और राज्य का संबंध सहभागिता और समानता का है। नागरिक शासन–निर्माण में भाग लेता है और अपने भाग्य का खुद निवर्तता होता है। दोनों में भावनात्मक और वैचारिक अंतर है। प्रजा शब्द में दासता या अधीनता का भाव निहित रहता है जबकि नागरिक शब्द में गरिमा, अधिकार और जिम्मेदारी का भाव समाहित होता है। इसलिए प्रजा वह है जो राजा के अधीन रहती है, जबकि नागरिक वह है जो लोकतांत्रिक राज्य का समान अधिकारों वाला सदस्य होता है। आधुनिक भारत में हम प्रजा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों से युक्त नागरिक हैं। हम भारत के लोगों ने संविधान के माध्यम से स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान ने व्यक्ति की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को राष्ट्र–जीवन की आधारशिला बनाया। परंतु संविधान की औपचारिक स्थापना और उसके मूल्यों का सामाजिक अल्पसंख्य–दो अलग प्रक्रियाएं हैं। यही वह अंतराल है जहां सामंती मानसिकता बार–बार सिर उठाती दिखाई देती है। समाज में उभरती अहंकारी सामंती प्रवृत्तियां अक्सर सहाे पर मामूली सांस्कृतिक या व्यवहारगत विचलन के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे भाषा में दंभ, पद और वंश का अनावश्यक प्रदर्शन, सत्ता के प्रति अंध–निष्ठा, या सामाजिक श्रेणियों के आधार पर श्रेष्ठता–बोधा किंतु इतिहास साक्षी है कि ऐसी प्रवृत्तियां धीरे–धीरे सामूहिक मानस में गहराई तक पैठ जाती हैं और अंततः लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बन जाती हैं। सामंतवाद केवल आर्थिक या राजनीतिक संरचना नहीं, बल्कि एक मानसिक संरचना भी होती है। इसमें व्यक्ति अपनी पहचान को जन्म, वंश, पद या शक्ति से जोड़कर देखता है। आधुनिक लोकतंत्र इसके विपरीत नागरिकता–आधारित समानता पर टिका होता है। अहंकारी सामंती प्रवृत्तियां अक्सर प्रतीकों के माध्यम से पुनर्जीवित होती हैं जैसे उपाधियों का प्रदर्शन, शक्ति का सर्वजनिक प्रदर्शन, सामाजिक दूरियां या यह विश्वास कि कुछ लोग स्वभावतः शासक और अन्य स्वभावतः शासित हैं। ये प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक संवाद की जगह अनुशासन और अधीनता को महत्व देती हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, परंतु लोकतांत्रिक संस्कार अभी भी समाज के हर स्तर तक समान रूप से नहीं पहुंचे हैं। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है, पर लोकतांत्रिक चेतना–अर्थात असहमति को स्वीकार करना, आलोचना को स्थान देना, और संस्थाओं का सम्मान करना–अब भी संभट में है।जब व्यक्ति लोकतंत्र को केवल मतदान तक सीमित समझता है और रोज़मर्रा के व्यवहार में समानता व संवेदनशीलता को नहीं अपनाता, तब सामंती सोच पुनः सक्रिय हो जाती है। सर्वजनिक जीवन में आलोचना को व्यक्तिगत अपमान मान लेना या सत्ता–सम्पन्न व्यक्ति के प्रति प्रश्न उठाने को 'अवज्ञा' समझना लोकतांत्रिक नहीं, सामंती प्रवृत्तियां हैं। जब लोग व्यक्तिगत करिश्मे को संस्थागत प्रक्रियाओं से ऊपर रखने लगते हैं तब संस्थाओं पर अविश्वास होने लगता है। आलोचना का दमन होता है और असहमति को देश–विरोध या सामाजिक विद्रोह करार दिया जाने लगता है और वंश या पद के आधार पर विशेषाधिकार को नैसर्गिक मान लिया जाता है। ये संकेत बताते हैं कि लोकतंत्र केवल संविधान में सुरक्षित नहीं रह सकता, उसे समाज के व्यवहार में भी सुरक्षित रखना होता है। मानवीय गरिमा का सम्मान तभी बना रह सकता है जब समाजजिक व राजनीतिक नेतृत्व प्रतीकात्मक सामंती प्रदर्शन से बचे और सादरता व जवाबदेही को अपनाये। भारत में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर नई–नई पहचानों का उभार होता नजर आता है। पहचान का उभार सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी बन सकता है, किंतु जब यह प्रवृति मानवीय मूल्यों से ऊपर उठकर राजनीतिक वर्चस्व का माध्यम बन जाती है, तब वह विभाजनकारी भी हो जाती है।

—अतिथि संपादक,

राजेन्द्र बोड़ा

(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल	
	
बुधवार १८ फरवरी, 2०२६	
फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् २०८२, शतभिषा नक्षत्र रात्रि ९:१६ तक, शिव योग रात्रि १०:४५ तक, बव करण सायं ४:५८ तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।	
गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज सायन मीन में सूर्य प्रवेश रात्रि ९:२२ पर करेगा। आज चन्द्र दर्शन दक्षिण श्रृंगोन्तित, पंचक है। आज से बसन्त ऋतु आरम्भ होगी।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से ९:५३ तक, शुभ ११:१७ से १२:४१ तक, चर ३:२९ से ४:५३ तक, लाभ ४:५३ से सूर्यास्त तक।	
राहूकाल: १२:०० से १:३० तक। सूर्योदय ७:०५, सूर्यास्त ६:१६	

संपादकीय

उचित मूल्य के अभाव में तरक्की से दूर किसान

कृषि विकास का एक दशक.....



पंकज मीणा

देश में कुछ क्षण ऐसे भी आए जब प्याज की बढ़ती कीमतों से सरकारें अस्थिर हो जाती थीं अथवा टमाटर, लहसुन का आम आदमी की पहुंच से दूर होने के नाम पर राजनीति होती थी। शहरों के नजदीक का किसान बाजार आसानी से उपलब्ध होने के कारण सब्जी की खेती की और आकर्षित होता है। आंकड़ों की ओर देखे तो राजस्थान में सब्जियों का उत्पादन वर्ष २०१४-१५ में १४ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन था वो २०२२-२३ बढ़कर २३ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य में उत्पादन

है वहीं लागत मूल्य भी बढ़ जाता है तथा ताजगी कुछ घंटे ही बने रहने के कारण जोखिम भी बढ़ जाता है। परंतु फिर भी १० वर्षों में किसानों की मेहनत और सरकार के सहयोग से उत्पादन और प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। सरकार उत्पादन बढ़ाने हेतु बहुत सी योजना बनाती है परंतु उपज का उचित मूल्य न मिलने से किसानों को समूचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

गत कुछ वर्षों पर नजर दोड़ाये तो ध्यान में आता है कि खेती किसानी पर चर्चाएकम हो गई है, सेमीनार कॉन्क्लेव बंद हो गए हैं यहां तक की किसान संगठन कमजोर हुए।जिससे किसानों की आवाज उठाना व उसके लिए संघर्ष करनासम्पात हो चुका है।कुलमिलाकर खेती किसानी और किसान हाशिये पर है। आंकड़ों की ओर देखे तो राजस्थान में सब्जियों का उत्पादन वर्ष २०१४-१५ में १४ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन था वो २०२२-२३ बढ़कर २३ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य में उत्पादन

२०१४-१५ में सब्जियों का उत्पादन प्रति हैक्टेयर ९३१२ किलो था जो कि २०२२-२३ में बढ़कर १२११६ किलो हो गया अर्थात उत्पादकता में ३० प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है सरकार के सकारात्मक प्रयास व किसान की मेहनत से उत्पादन दुगुना हुआ है और प्रति हैक्टेयर उपज में ३० प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, परंतु उचित भाव न मिलने से किसान खुशहाली है दूर है।

कृषि कार्य को किसान के नजरिए से तीन भागों में बांटा जा सकता है।प्रथम बुवाई अर्थात भूमि में बीज बोने से पूर्व खेत तैयार करना और बीज की बुवाई। दूसरा २-६ माह तककिसान फसल को अपनी कला व मेहनत से तैयार करता है फिर कटाई के उपरांत फसल को विपरीत परिस्थिति में हाडतोड़ मेहनत करने वाले किसाने को उस २० रू. में से केवल ५ रू. ही मिल रहे हैं। और उस ५रू. में ही किसान अगली फसल भी करेगा अपने परिवार का पेट भी पालेगा और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चत भी करेगा। सरकारों के प्रयास से उत्पादन व उत्पादकता बढी है जहां

सुविधा, तकनीक और किसान की मेहनत में कोई कमी नहीं है, इसलिए उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। परंतु अंतिम भाग फसल को बाजार में बेचकर उचित मूल्य को प्राप्त करने में किसान पिछड रहा है, तैयार उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में यहां परिवहन, मंडी/बाजार में महत्वपूर्ण कारक तो वहीं तैयार फसल (फल/सब्जी) का परिरक्षण भी एक बड़ी समस्या है। भारत में परीरक्षण के अभाव में ४०-६० प्रतिशत फसल ही थाली तक पहुंचती है, सरकार किसान की फसल बिक्री की कोई मजबूत व्यवस्था तैयार करें जिससे किसान की बिक्री मूल्य और उपभोक्ता के खरीद मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। साथ ही जल्द खराब होने वाली फसलों के परीरक्षण के लिए सरकार उद्योग स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करे तो निश्चित ही फल सब्जी उत्पादक किसान के जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेगा।

—पंकज मीणा,

प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा

राष्ट्रीय गीत का सम्मान भारत के संविधान के प्रति आभार जताना है

किया जाएगा।

धारा ३ के शीर्षक को केवल २४ जनवरी, १९५० की संविधान सभा की बहस की कार्यवाही पर ध्यान देकर ही समझा जा सकता है, यह ऐतिहासिक फैसला जन गण मन और वंदे मातरम के दर्जे को साफ़ समझ और तारीफ़ का आधार और बुनियाद है।२४ जनवरी १९५० को संविधान सभा के प्रेसिडेंट डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यह बयान दिया था, जिसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर आखिरी फैसले के तौर पर भी अपनाया गया:—

...जन गण मन के नाम से जाने जाने वाले शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर सरकार जो भी बदलाव करने की इजाजत दे सकती है, उसके अधीन है, और वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसके बराबर दर्जा दिया जाएगा।

यह बात कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर कोई कानूनी नियम नहीं है, गलत, बेतुकी और गुमराह करने वाली है। यह बात हो सकती है कि १९७१ में राष्ट्रीय गीत का साफ़ तौर पर जिक्र नहीं है। एक १९७१ के सेक्शन तीन के हेडिंग में इस्तेमाल किया गया शब्द आदि मतलब निकालने के लिए कानूनी तरीकों की ज़रूरत है। इस विषय पर गाइड करने के लिए एजुडेड जेनेरिस का सिद्धांत लॉजिकल नतीजे को समझने में मदद करता है

दूसरा तर्क यह है कि आर्टिकल १९ में इस बात के लिए युक्तायुक्त पाबंदियां हैं कि युक्तायुक्त पाबंदियां कानून के तौर पर लगाई जा सकती हैं, न कि एजौक्युटिव ऑर्डर से, यह खड़क सिंह केस में तय किया गया था।

राष्ट्र गीत कानूनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि अधिनियम १९७१।राष्ट्रगान को कानूनी सुरक्षा देता है और आदि

जबकि बाकी सभी धर्म गलत हैं। मुसलमानों का मानना ​​है कि जो कोई भी इस्लाम के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता, वह काफ़िर है और उसे मुसलमानों के साथ भाईचारे का हक नहीं है। राष्ट्रगीत का विरोध विरोधियों के जरिए सच हो रही चिंताओं की झलक है।

८ दिसम्बर १९४८ को कॉन्स्टिट्यूट एसेंबली की बहस के दौरान एस संधानम ने कहा कि ऐतिहासिक एसिमिलेशन भारतीय सभ्यता की खासियत रही है, इसलिए राष्ट्र गीतवंदे मातरम का विरोध ऐतिहासिक एसिमिलेशन की फिलॉसफी के खिलाफ़ है। फिर, २१ जनवरी १९४७ को कॉन्स्टिट्यूट एसेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर हुई बहस के दौरान आर. धुलेकर ने कहा कि भारतीय बाबर, हुमायूं और अकबर को उसी हद तक अपना मानते हैं, जिस हद तक वे खुद को भारत से जोड़ते हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डइस्लाम उस विचार को फालो करता है जो एंटी-सोशल, अनडेमोक्रेटिक और एंटी-नेशनल है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरेलिटी के प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डका विरोध हिस्टोरिकल एसिमिलेशन प्रोसेस के भी खिलाफ़ है, यह एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसका नतीजा कश्मीर में जेनोसाइड जैसा होता है।

हिस्टोरिकल एसिमिलेशन प्रोसेसका मकसद मेलजोल, आपसी सम्मान सोखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डबैयकाब हो गया है और जिन्ना की तरह बताव कर रहा है जिसने बंटवारे के बीज बोए थे, जिसका नतीजा यूनाइटेड इंडिया का बंटवारा था। नंदलाल बोस की लिखी कॉन्स्टिट्यूशन की कैलिग्राफी कॉपी को दिखाने वाले एक इलस्ट्रेशन में

नौखाली दंगों का जिक्र है, जो याद दिलाता है कि भारत को बंटने की आगे की सभी कोशिशों को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। साथ ही, भारत के संविधान की कैलिग्राफी कॉपी में भारत का विवरण मंदर इंडिया – भारत माता के रूप में है, जिसका मतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स भारत माता को आजाद कराने के लिए भारत के बाहर से लड़ रहे थे (हिंदी में भारत माता), नेताजी बोस को दिखाने वाले इलस्ट्रेशन का विवरण है। इसलिए वंदे मातरम भारत माता की प्रशंसा, स्तुति है। यहीनहींभारत को आजादी मिलने पर आधी रात को कॉन्स्टिट्यूट एसेंबली की प्रोसिडिंग्स में बताया गया है कि पहला एजेंडा सुचेता कृपलानी द्वारा वंदे मातरम का गायन था।

राष्ट्रगान बजाते या गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होने केविषय पर दुनिया का नज़रिया १९८७ में ७६ (ए) ७४८ बिजो इमैनुएल और अन्य, अपोलेंट बनाम केरल राज्य और अन्य, रेस्पोंडेंट में भी बताया गया है। डोनाल्ड बनाम हैमिल्टन बोर्ड एजुकेशन, (१९४५ ऑटारियो) में झंडे को सलामी देने और राष्ट्रगान गाते पर आपत्ति के एक मामले में, जस्टिस गिल्लर्डस ने कहा :

“... मेरे लिए, झंडे को सलामी देने या राष्ट्रगान गाने का आदेश किसी भी ज़बरदस्ती किए गए धार्मिक काम में शामिल न होने का आदेश होगा, बल्कि, सही नज़रिए से देखा जाए तो, एक उलटे सिद्धांत के सम्मान में शामिल होना होगा, यानी, एक ऐसे देश और राष्ट्र का सम्मान करना जो धार्मिक आजादी के लिए खड़ा है, और यह सिद्धांत कि लोग अपनी मर्जी से पूजा कर सकते हैं, या बिल्कुल नहीं कर सकते।”

—सूर्य प्रताप सिंह राजावत, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

बूंदी में अस्तित्व खो रहा है एकमुखी शिवलिंग वाला दो हजार साल पुराना मंदिर

सर्वेक्षण के बावजूद पुरातत्व विभाग ने प्राचीन शिवमंदिर की सुध नहीं ली

बूंदी, (निर्सं।) क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राकृतिक एवं पौराणिक धार्मिक आस्था स्थल भीमलत महादेव के निकट शिव मंदिर मलबे में तब्दील हो गया है तथा कलात्मक एक मुखी शिवलिंग खण्डित अवस्था में है। इस शिवलिंग पर शिव की ध्यान योग मुद्रा में सुंदर प्रतीमा उत्कीर्ण है।

लंबे समय से इस मंदिर के खंडित शिवलिंग की पुनर्स्थापना एवं जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को

अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने इस कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई। इस ध्वस्त शिवालय एवं खण्डित आरामकद एकमुखी शिवलिंग के कारण इस स्थान का नाम खंडेरिया पड़ा। यहां पर एक छोटी बस्ती भी है, जिसका नाम भी इसी मंदिर के कारण खंडेरिया है। मंदिर का निर्माण गोलाकार में हुआ था और आशंका जताई जा रही है कि इसे विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया होगा। इस शिवलिंग व शिवालय के

भीमलत महादेव के निकट शिव मंदिर मलबे में तब्दील हो गया है

अध्ययन के लिए पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक उत्खनन की मांग की गई थी और भारतीय पुरातत्व विभाग के गोविन्द मल्ल व मनोज द्विवेदी ने इस शिवालय का अवलोकन भी किया था। इसकी बड़े आकार की ईंटों के आधार

पर इसे १८०० से २२०० साल के बीच में निर्मित होने की संभावना है। पुरातत्व विभाग यहां के कलात्मक खण्डित शिवलिंग को किसी म्यूजियम में रखने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय लोगों व पुरातत्व से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे शिवलिंग उसी हालत में है। पुरातत्व विभाग को टीम के सर्वे से उम्मीद थी कि जिले की इस महत्वपूर्ण पुरा संपदा का संरक्षण एवं

जीर्णोद्धार होगा, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। खंडेरिया महादेव मंदिर प्राचीन बाणगंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। यहां पास ही में रॉक पेंटिंग भी मिली है, जिससे इस स्थान के अति प्राचीन होने की संभावना है। इस प्राचीन स्थल के नजदीकी पौराणिक स्थानों में भाला कुई व सीता कुंड धार्मिक आस्था स्थल है।